राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ.20(254)एनएचएम/एचआरडी/2018/ 2156 दिनांकः 18/10/18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक क्रमांकः एफ.20(254)एनएचएम/एचआरडी/2018/2082 दिनांकः 03.10.2018 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक (सीएचसी/पीएचसी) एवं आयुष चिकित्सक (आरबीएसके) के पद के मानदेय का पुर्ननिर्धारण भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत/अनुमोदित पीआईपी में उल्लेखित दर अनुसार किया गया है। इस संबंध में बार–बार प्राप्त होने वाले प्रश्नों के मध्यनजर स्थिति स्पष्ट की जा रही है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं से संबंधित कार्मिको पर उक्त आदेश लागू नहीं होगे :–

1. ऐसे कार्मिक जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017–18 में मानदेय वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है, के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक ऐसे कार्मिको पर उक्त आदेश लागू नहीं होगे।
2. ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में किसी प्रकार के प्रकरण विचाराधीन है, के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक ऐसे कार्मिको पर उक्त आदेश लागू नहीं होगे।
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कार्मिक के द्वारा किये गये कार्यो/अप्रेजल (जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त हुए है) की राज्य स्तर पर की गई समीक्षा के आधार जिन कार्मिको को राज्य स्तर पर सुनवाई हेतु बुलवाया गया, के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक ऐसे कार्मिको पर उक्त आदेश लागू नहीं होगे।
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के अप्रेजल में जिन कार्मिको के विरूद्ध उनके द्वारा किये गये कार्यो/कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण जिलो से विपरीत टिप्पणी अंकित की गई है, के संबंध में राज्य स्तर से अंतिम निर्णय होने तक ऐसे कार्मिको पर उक्त आदेश लागू नहीं होगे।

उपरोक्त निर्देशों के अलावा इस संबंध में कोई भी अन्य निर्णय लेने से पूर्व आचार संहिता का ध्यान रखे।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांकः एफ.20(254) एनएचएम/एचआरडी/2018/ 2156 दिनांकः 18/10/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम जयुपर।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।

5. संयुक्त निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, आरबीएसके, एनएचएम जयपुर।
8. सहायक निदेशक (आयुष), एनएचएम, जयपुर।
9. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) एनएचएम जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी–एचआर, एनएचएम, जयपुर को पालनार्थ।
11. राज्य वित्त प्रबन्धक/राज्य लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राज0।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राज0।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सामान्य चिकित्सालय, समस्त जिले, राज0।
15. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राज0।
16. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम समस्त जिले।
17. जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त जिले को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।
18. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
19. समस्त संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों को सूचनार्थ।
20. प्रभारी –सर्वर रूम को उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं ईमेल हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम